महिला विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार

बाल विवाह एवं दहेज के खिलाफ जागरूकता

1

अभियान के एक वर्ष

सफरनामा

© www.5DariyaNews.com

बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन हेतु राज्यव्यापी जनजागरूकता अभियान

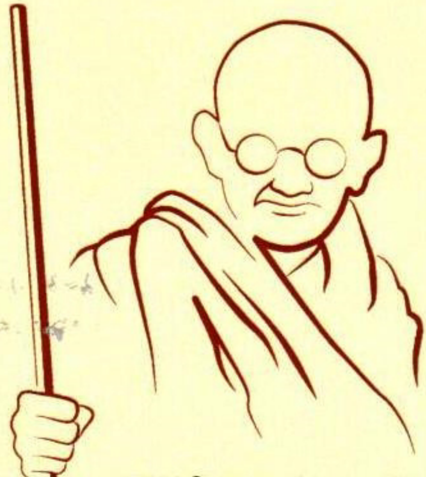

बाल विवाह की प्रथा, नैतिक और शारीरिक दोनों दृष्टियों से हानिकारक है... एक पाशविक प्रथा की धर्म से पुष्टि करना धर्म नहीं, अधर्म है... मैंने अनेक बाल मांओं की सेहत तबाह होते देखी है...

महात्मा गाँधी
(सत्य के प्रयोग)

दहेज- प्रथा एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिसने भारतीय-महिलाओं के जीवन को पददलित बना दिया। यह खरीद- बिक्री का कारोबार है। कोई भी युवक, जो विवाह में दहेज की शर्त रखता है, अपनी शिक्षा को कलंकित करता है, अपने देश को कलंकित करता है और नारी- जाति का अपमान करता है।

महात्मा गाँधी
(सत्य के प्रयोग)

बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन हेतु
राज्यव्यापी जनजागरूकता अभियान

अभियान के एक वर्ष

सामाजिक बदलाव की ओर बढ़ता बिहार

राज्य में गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के रूप में जागृत एवं संगठित कर जिस सामाजिक बदलाव की पहल की गई, उसे पंचायतों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण से एक नई दिशा मिली। वर्ष 2016 में पूर्ण शराबबंदी के निर्णय ने सामाजिक बदलाव के इस मुहिम को पूरे देश में एक अलग एवं विशिष्ट पहचान दी है।

राज्य में व्याप्त सामाजिक समस्याओं में बाल विवाह एवं दहेज से राज्य की बड़ी आबादी प्रभावित होती है। एन.एच.एफ.एस. 3 की तुलना में एन.एच.एफ.एस. 4 के आंकड़ों के अनुसार बाल विवाह के मामलों में लगभग 26.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, किन्तु यही आंकड़े बताते हैं कि राज्य के 37 जिलों में 25 प्रतिशत से अधिक बालिकाओं का विवाह 18 वर्ष से कम आयु में हो रहा है। दूसरी ओर दहेज भी समाज के सभी वर्गो में व्याप्त एक सामाजिक कुरीति है, जिसे अधिकांश वर्गो का मूक समर्थन हासिल है। यह प्रथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बाल विवाह को प्रोत्साहन भी देती है।

ऐसी स्थिति में राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर, 2017 से इन दोनों मुद्दों पर एक राज्यव्यापी सामाजिक अभियान की शुरूआत की।

बिहार सरकार

बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन हेतू राज्यव्यापी जनजागरूकता अभियान

शपथ ग्रहण कार्यक्रम

2.48 करोड़ लोगों ने लिया एक साथ बाल विवाह और दहेज मुक्त बिहार बनाने का संकल्प। ना बाल विवाह करेंगे और ना ही करने देंगे। ना दहेज लेंगे ना देंगे और दहेज वाली शादी में नहीं जाने की शपथ। विकसित बिहार की रफ्तार सामाजिक बदलाव के पथ पर तेज हुई।

बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन हेतू राज्यव्यापी जनजागरूकता अभियान

जागरूकता रथों द्वारा घर-घर संदेश

गली, सड़क, चौक, कस्बे, गाँव, नगर, चौराहे। कदम–दर–कदम घूमें जागरूकता रथ। दिया सामाजिक बदलाव का संदेश। बने लोग जागरूक। सही उम्र में शादी और बिना दहेज विवाह। सुन री बहना, सुनो ऐ भईया! नई सुबह ने बदली दुनिया। बिहार विकास की राह चला। न मुनिया बनेगी दुल्हन, मुन्ना न चढ़ेगा घोड़ी। सब पढ़ेंगे, स्कूल चलेंगे।

बिहार सरकार

बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन हेतू राज्यव्यापी जनजागरूकता अभियान

नुक्कड़ नाटक से फैली जागरूकता

सकारात्मक माहौल ने बदली सोच। 16,932 नाट्य प्रस्तुतियों ने दिया संदेश। 8,466 ग्राम पंचायतों में कलाकारों की मंडलियों ने किया जागरूक और बदली सोच। कलाकारों ने दिलाई सही उम्र में शादी करने की कसम। न दहेज लेने और न दहेज देने का संकल्प। बदलाव के सफर में बनें सभी सहभागी।

प्रभात फेरी कार्यक्रम

90,000 उच्च विद्यालयों के छात्र–छात्राओं और 38,000 महादलित टोलों के किशोर किशोरियों ने साईकिल रैली और प्रभात फेरी से लिया "बाल विवाह और दहेज मुक्त समाज" का संकल्प। साईकिल चलाने ने आत्मविश्वास दिया और प्रभातफेरी ने कुरीतियों को भगाकर नई सुबह का स्वागत करने की सीख। कोई बच्चा दुल्हा–दुल्हन नहीं बनेगा।

मुख्यमंत्री की चिट्ठी

श्री नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा राज्य के सभी स्तरों के लगभग 2,50,517 जनप्रतिनिधियों को पत्र के माध्यम से जागरूकता का संदेश भेजा गया। इस पत्र के माध्यम से उन्हें इस सामाजिक बदलाव में शामिल होने एवं जनजागरूकता में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने का आह्वाहन किया गया। बिहार आगे बढ़ेगा कुरीतियों को खत्म करेगा।

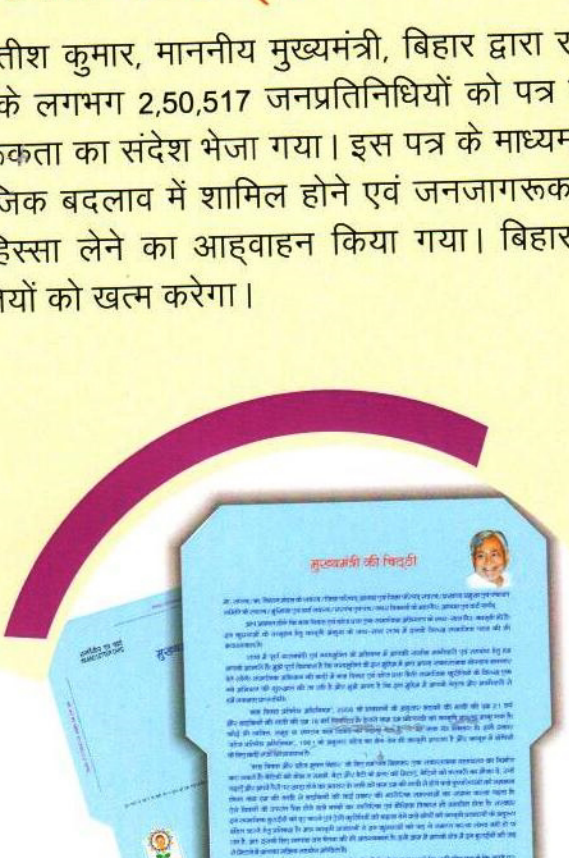
मुख्यमंत्री की चिट्ठी

खुशहाली का दीपक कार्यक्रम

बाल विवाह और दहेज मुक्त बिहार के लिए जनभागीदारी के कई रूप बने। सभी 38 जिलों के 5–5 महादलित टोलों में दीपावली के अवसर पर विशेष अभियान चलाया गया। ''बाल विवाह और दहेज मिटायें, खुशहाली का दीपक जलायें'' के नारे लगाते हुए हजारों घर रौशन हुए। ज्ञान की रौशनी बेहतर कल के लिए, अपने बच्चों के भविष्य को रौशन करने के लिए। हाथों में दीपक मन में संकल्प। बाल विवाह और दहेज का अंधेरा अब कभी नहीं।

धर्मगुरूओं का संवेदीकरण

शादी हो या निकाह, पंडित–पुजारियों और मौलवियों ने ली सही उम्र एवं दहेज मुक्त विवाह कराने का संकल्प। माता–पिता के साथ ही अब धर्मगुरूओं ने भी दिया साथ। सामाजिक बदलाव के लिए कदम से कदम मिलें, हाथ से जुड़ें हाथ। सामाजिक बदलाव में धर्मगुरूओं का भी पूरा योगदान, पूरी जिम्मेदारी।

अभियान के 1 एक वर्ष

जन प्रतिनिधियों का संवेदीकरण

जन प्रतिनिधियों एवं सामुदायिक कार्यकर्ताओं ने भी कसी कमर। मिटेगी बाल विवाह की प्रथा और होंगी शादियाँ दहेज मुक्त। गाँव हो या शहर सभी शादियाँ दहेज मुक्त होगी। बच्चे नहीं बनेंगे दुल्हा–दुल्हन। निगरानी होगी हमारी। साथ देगा समाज। बदलेगा जमाना और बनायेंगे नया बिहार। दूर होगा कम उम्र में शादी और दहेज का भय।

बिहार सरकार

पुलिस पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

राज्य के 1000 पुलिस पदाधिकारी हुए नई जानकारियों से लैस। लिया संकल्प, मिलकर करेंगे दहेज उत्पीड़न का अंत। बच्चों की नहीं होगी शादियाँ। पीड़ितों को मिलेगा त्वरित न्याय और होगी दोषियों पर सख्त कार्रवाई। अब शादी बिना दहेज की होगी। बच्चे नहीं बनेंगे दुल्हा या दुल्हन। समाज बदलने की जवाबदेही हम सबकी।

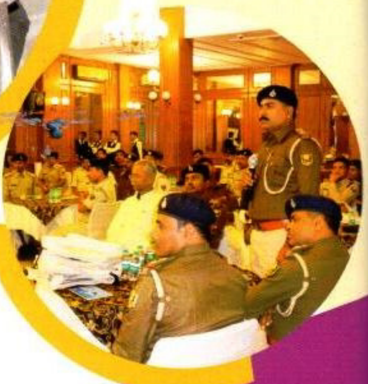

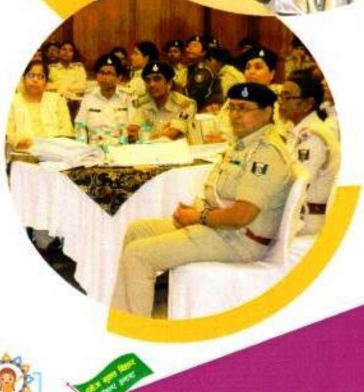

बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन हेतु राज्यव्यापी जनजागरूकता अभियान

1 अभियान के एक वर्ष

क्षमता विकास कार्यक्रम

सभी 38 जिलों में चल रहे हैं सघन अभियान। शुरू हो चुकी है बाल विवाह मुक्त जिला बनाने की मुहिम। आईयें जोड़ें सहयोग के हाथ, बने सामाजिक बदलाव के हमसफर। लगभग 10,000 संबंधित पदाधिकारियों, सेवा प्रदाताओं, पंचायत प्रतिनिधियों, विकास मित्रों, सामुदायिक कार्यकर्ताओं आदि का हुआ क्षमता विकास। बिहार के विकास के लिए जोड़ेंगे हाथ और बच्चों की शादी कभी नहीं का संकल्प। बिन दहेज विवाह बनायेंगे नई राह।

बिहार सरकार

बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन हेतू राज्यव्यापी जनजागरूकता अभियान

अभियान के एक वर्ष

सबकी जिम्मेवारी सबकी भागीदारी

प्रिटिंग प्रेस हो या कैटरर या बैण्ड बाजा बराती सबको जानकारी, सबको चेतावनी। बाल विवाह में जायें नहीं, दें सूचना पुलिस को। पहले छानबीन कर लें कि शादी में दहेज तो नहीं लिया जा रहा? बचपने में तो नहीं हो रही है शादी? कानून अपना काम करेगा और हम सब अपना। बच्चे तो सबके हैं। हमारे और देश का भविष्य हैं।

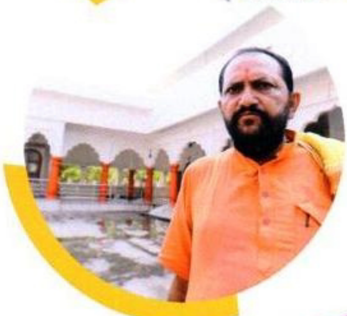

बिहार सरकार

बच्चों ने उकेरे संदेश

राज्य के लगभग 2000 स्कूलों में बच्चों ने दिया पेंटिंग के माध्यम से संदेश। करेंगे सामाजिक बदलाव की शुरूआत। हम नहीं बनेंगे दुल्हा–दुल्हन। मिटेगी दहेज की रस्म। हर घर बदलाव की बयार बहेगी। इस जागरूकता की मिसाल पूरे देश को रौशनी देगी। बिहार आगे बढ़ेगा तो जमाना बदलेगा।

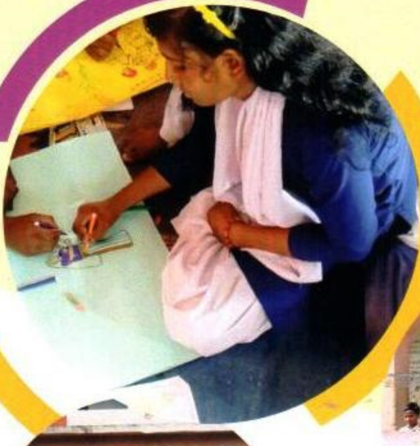

मेंहदी एवं रंगोली कार्यक्रम

चप्पा चप्पा गूंज उठा। नारे लगे और अब हाथ उठे। छुटकी दुल्हन नहीं बनेगी। मुन्ना भी स्कूल जायेगा। बड़की दीदी बनेगी दुल्हन बिन दहेज की शादी में। मेंहदी आज लाई रंग नई, हमने देखी है सुबह नई।

मानव श्रृंखला

3,27,32,008 ने जोड़ें हाथ। बनाई 14,006 किलोमीटर मानव श्रृंखला। लिया बाल विवाह और दहेज मुक्त बिहार बनाने का संकल्प। बदला है जमाना, मिली है रौशनी, हाथों ने थामा है सूरज का परचम।

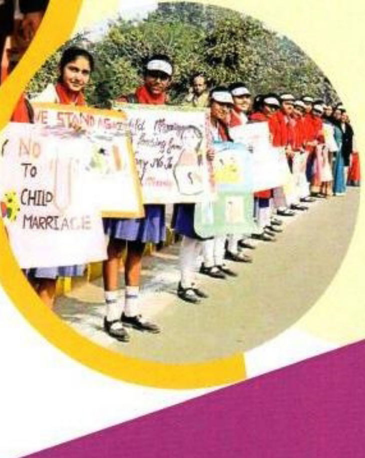

बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन हेतु राज्यव्यापी जनजागरूकता अभियान

अभियान के एक वर्ष

नारा लेखन कार्यक्रम

8,46,600 दिवारों पर लिखे गये "बाल विवाह और दहेज मुक्त बिहार" के नारे और जागरूकता संदेश। बदलाव की आवाज़ दीवारों पर अंकित हुए और रोज याद दिलाती हैं कि संकल्प पूरा करना है। गाँव हो या शहर कोई भी शादी कम उम्र में नहीं होगी। न कोई दहेज लेगा और न ही कोई देगा। सबकी जवाबदेही, सबकी जिम्मेदारी, सबकी निगरानी।

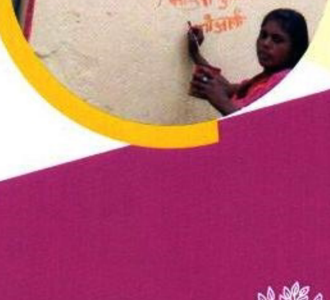

बिहार सरकार

बाल विवाह एवं दहेज उन्मूलन हेतू राज्यव्यापी जनजागरूकता अभियान

अभियान के एक वर्ष

संध्या चौपाल

महादलित टोलों की विशेष निगरानी। सर्वाधिक समस्या वाले क्षेत्रों पर विशेष नजर। प्रत्येक प्रखण्ड के 10 पंचायतों में अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा चौपाल लगाकर बाल विवाह के मुद्दे पर गहन चर्चा एवं जन संवाद। जनता की राय जानने एवं उनकी मन स्थिति समझने का एक सशक्त माध्यम बना संध्या चौपाल। अब सबने यह ठाना है, बाल विवाह एवं दहेज मिटाना है।

बिहार सरकार

किशोर-किशोरी समुहों का गठन

राज्य के सभी महादलित टोलों में बन रहे 03 किशोर एवं 01 किशोरी समूह। कुल 39,500 समूह करेंगे सामाजिक बदलाव की शुरूआत। मिटेगी दहेज की रस्म, बच्चें नहीं बनेंगे दुल्हा–दुल्हन। घर–घर बदलाव की बयार। जागरूकता की मिसाल पूरे देश को रौशनी देगी। बिहार आगे बढ़ेगा तो जमाना बदलेगा। नई सुबह का है सबको इंतजार।

बदलाव को सम्मान

बिना दहेज के विवाह को मिला सर्वोच्च सम्मान। सरकार पहुँची बदलाव के द्वार। किया सम्मानित, प्रोत्साहित हुए युवा। बिना दहेज की शादी को सामाजिक सम्मान। युवाओं की पहल आन्दोलन बनेंगी और उस कुरीति को समाप्त करेगी जो बेटियों को दुःख देती है, सताती है। समाज बदलेगा, युवाओं के बल पर।

पदाधिकारियों की पहल

जिलों से सामुदायिक संगठनों ने की पहल, 272 बाल विवाह को रूकवा कर दिया संदेश। पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों, स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला हेल्प लाईन, चाईल्ड लाईन ने भी दिया साथ और 700 से अधिक बाल विवाह के मामलों में किया सार्थक हस्तक्षेप। सामाजिक बदलाव ने लोगों के मन भी बदले। पहले बच्चे की चिंता उसके बाद सामाजिक प्रतिष्ठा। बच्चे स्वस्थ और खुश होंगे तभी तो बदलेगा बिहार, आगे बढ़ेगा बिहार।

त्वरित न्याय के लिए कानून में हुआ संशोधन

बिहार दहेज प्रतिषेध नियमावली 2018 हुआ लागू। बने नये प्रावधान। हुई व्यवस्था चुस्त–दुरूस्त। सख्त कानून। सशक्त अनुपालन। सबकी जवाबदेही सुनिश्चित। कोई भी दहेज मांगेगा तो मिलेगी कड़ी सज़ा, साथ ही जुर्माना भी। पीड़िता को त्वरित न्याय, मुआवज़ा और पुनर्वास।

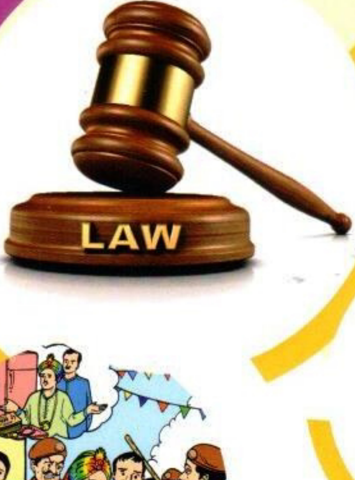

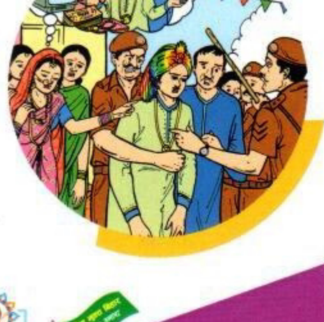

महिला विकास निगम
समाज कल्याण विभाग
बिहार सरकार

Conceptualized, Designed & Printed by:
Punam # 0 98350 59350